

## ४ पहियों का वाहन खरीदने के लिए ग्राहक को मार्गदर्शन

पुरा भुगतान राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा प्राप्त किया, बैंक ड्राफ्ट जो "कॅन्टीन स्टोअर्स डिपार्टमेंट पब्लिक फंड अकाउंट (मेन)" के नाम पर है और जहाँ गोदाम स्थित है वहाँ उसका भुगतान होना चाहिए ।

तीन ही सेना के पीबीओआर को १५ साल की कलर सर्विस होना जरूरी है और मानद रूप से सेना से निवृत्त हुए ऐसे अधिकारी जो निम्न दिए गए की तरह है, वह ४ पहियों का वाहन खरीदने के लिए पात्र है ।

मा. कमीशन जेसीओ/समानार्थक	७ साल
सेवा में या निवृत्त	१५०० सीसी
जेसीओ/पीबीओआर एवं समानार्थक	सेवा मे एक बार और निवृत्त के बाद एक बार
सेवा मे या निवृत्त	१४०० सीसी तक

वाहन डिलीवरी के समय जो किमत लागू होगी वही ली जाएगी । ग्राहक अद्ययावत किमत के बारे में सीएसडी गोदाम / सीएसडी मान्यता प्राप्त डिलर जो ४ पहियों का वाहन खरीदने के लिए उस जगह की सूची में है उससे जानकारी पा सकते हैं ।

काटा गया, मिटाया गया एवं वाईटनर लगाया इंडेंट फॉर्म नहीं लिया जाएगा ।

वाहन की डिलीवरी में विलंब न हो इसलिए डिलर द्वारा दिया गया उपलब्धता प्रमाणपत्र साथ में जोड़ीए ।

डिलर एवं दलाल के नाम पर अधिकारीक / नामांकन स्विकृत नहीं किया जाएगा ।

**डिलीवरी में विलंब होने के बदले में सीएसडी या डिलर द्वारा कोई भी ब्याज भुगतान नहीं किया जाएगा ।**

सेवा में / निवृत्त अधिकारी को डिलीवरी के समय पर निम्न चीजे अपने साथ लानी होगी:

सर्विस आय-कार्ड

पॅन कार्ड

कॅन्टीन स्मार्ट कार्ड

क्यूएमजीद्वारा दिया गया अनुमती पत्र, सीएसडी गोदाम अनुमोदन के लिए मूल पीपीओ (निवृत्त अधिकारी के लिए)

कृपा करके वाहन २५०० सीसी से कम होने की सुनिश्चती किजीए ।

कार बुकींग के समय सत्यापन एवं गोदाम अनुमोदन जरूरी के लिए प्रमाणित पीपीओ की नकल और मूल पीपीओ प्रस्तुत करना जरूरी है ।

कृपा करके ध्यान मे लिजीए की काम का समय सामान्य रुप से निम्न जैसा है:

- व्यापारी समय अलग होता है इसलिए कृपा करके व्यवहार समय के लिए संबंधित सीएसडी गोदाम से संपर्क करे ।
- रविवार और छुट्टी के दिन कोई भी व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

### सीएसडी गोदाम के लिए जरूरी दस्तावेज

४ पहियों का वाहन खरीदने की अर्जी पर प्रक्रीया करने के लिए निम्न दस्तावेज की जरूरत है:

- अॅप्लीकेशन फॉर्म
- युनिट के सीओ / ओसीद्वारा प्रतिहस्ताक्षरीत पीबीओआर द्वारा प्रमाणपत्र जिससे उस व्यक्तितने पिछले पाँच / सात साल मे (जो लागू है) कोई भी कार नही खरीदी है इसकी सुनिश्चती के लिए और वह दो साल पहले कार नही बेचेगा, कोई भी भंग हो गया तो वह पूरे एक्सआईज / बिक्री कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा ।
- पे बुक मे कार खरीदने के संबंधी पीबीओआर द्वारा एन्ट्री की है उसकी प्रमाणित नकल ।
- युनिट के सीओ / ओसी द्वारा अर्जदार की वित्तीय स्थिती कार खरीदने योग्य होने की सुनिश्चती के लिए प्रमाणपत्र (परिशिष्ट 'सी') ।
- पॅन कार्ड या फॉर्म ६०
- ड्राईव्हिंग लाइसेंस की नकल
- डिलर द्वारा उपलब्धता प्रमाणपत्र
- कॅटीन स्मार्ट कार्ड
- क्यूएमजी शाखा द्वारा कार अनुमती पत्र